(271)

निग0- 4233/2018/रीवा/भू-रा

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा म0प्र0

जागेन्द्र शुक्ला तनय श्री बिहारी लाल शुक्ला उम्र 43 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम खैर तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0

—— आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

1— रामरती पत्नी रामसजीवन कुशवाहा उम्र 50 वर्ष पेशा घरूकार्य निवासी ग्राम खौर तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0

2— शासन म0प्र0

आवेदन श्री ... पाण्डेय, द्वारा पेश। 09-7-18

रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

—— अनावेदकगण / गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्व आदेश राजस्व निरीक्षक महोदय, रा0 नि0 मण्डल रीवा गिर्द के प्र0क0 265अ—12 / 17—18 राजस्व निरीक्षक मण्डल गिर्द आदेश दिनांक 15—05—18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0स0 1959 ई0

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित है :—

1— भूमि क0 372 जो अनावेदक क0 1 की भूमि है के पश्चिमी तरफ आवेदक की आराजी नं0 367/2 रकवा 0.11 डि0 स्थिति है जिसका सीमांकन आवेदक द्वारा कराया गया था जिसकी पुष्टि दिनांक 18—10—07 को हुई थी किन्तु अनावेदक क0 1 ने सीमांकन हेतु आवेदक को सूचना दिये ~~किन्तु~~ सूचना दिनांक को बिना सीमांकन किया किन्तु सीमांकन गलत हुआ जिसकी आपत्ति आवेदक द्वारा मौके पर की गई और पूर्व सीमांकन भी दिखाया गया जिस कारण से पंचनामा में हस्ताक्षर नहीं कराये गये तब दिनांक 15—05—18 को राजस्व निरीक्षक मण्डल गिर्द के यहॉ आपत्ति प्रस्तुत किया किन्तु कोई आपत्ति प्रकरण में प्रस्तुत नही कह

(271)

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक क्रमांक निग0 / 4233 / 2018 / रीवा / भू–रा0 जिला–.रीवा

जंागेन्द्र शुक्ला / रामरती कुशवाहा

| (1) | (2) |
| --- | --- |
| 18-12-18 | 1. आवेदक की ओर से श्री सूर्यनाथ पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल रीवा गिर्द, तहसील हुजूर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 265 / अ–12 / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 15.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 16.02.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।<br>सदस्य |

MF 16-2-19